तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहका[illegible] हुक्म [illegible] में [illegible]
12-5-17 तेजराम	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प मढूकलाँ पर पेश हुई। अपीलार्थी लैण्ड होल्डर उपस्थित है। रेस्पोन्डेन्ट की ओर से इनके पति तेजराम मीना उपस्थित है। पक्षकारों को सुना गया व रेस्पोन्डेन्ट के पति को समझाया गया। प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 269 दि० 5-1-2012 ग्राम मढूखुर्द निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

अपील के समर्थन में अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 269 दि0 5.1.2012, फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 16.5.2011, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069, फोटोकोपी परिपत्र क्रमांक एफ 3 (63) राज/ ग्रुप–1/2009 दिनांक 28.4.2011 पेश की है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

बहस अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। विक्रय पत्र दिनांक 16.5.2011 के अनुसार कुसुम शर्मा धर्मपत्नी भगवत प्रसाद शर्मा हिस्सा 1/6 ने रेस्पोन्डेन्ट हल्की धर्मपत्नी तेजराम निवासी डावरा तहत सपोटरा को ख0नं0 254 रकबा 0.67 हैक्टर ग्राम महुखुर्द में से स्वयं के हिस्से में से हिस्सा 293/6700 भूमि विक्रय की है। इस विक्रय का नामान्तरकरण संख्या 269 दि0 5.1.2012 पटवारी हलका द्वारा हल्की धर्मपत्नी तेजराम मीना के पक्ष में खोला गया है जो राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 3 (63) राज/ ग्रुप–1/2009 दिनांक 28.4.2011 के विरूद्ध खोला गया है एवं इस परिपत्र के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 5.1.2012 ग्राम महुखुर्द निरस्त किया जाता है। पालना हेतु निर्णय की सत्यप्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को मूल नामान्तरकरण सहित प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.5.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
8/2015	17.6.2015	12.5.2017

तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी ——अपीलार्थी

बनाम

हल्की धर्मपत्नी तेजराम, मीना निवासी डाबरा तह0 सपोटरा ——रेस्पोन्डेन्ट

अपील विरूद्ध नामन्तरकरण संख्य 269 दि0 5.1.2012 ग्राम महुखुर्द

उपस्थित :– तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी

तेजराम मीना निवासी डाबरा (रेस्पोडेन्ट के पति)

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि ग्राम महुखुर्द जमाबंदी सं0 2066–69 के खाता 55 में ख0नं0 254 रकबा 0.67 है0 मोहनलाल, गिर्राज, मदनमोहन पिता परसादी, ग्यारसी बेवा परसादी हिस्सा 1/2, श्रीमती मोत्यावाई धर्मपत्नी मोहनलाल हिस्सा 1/6, कोम गुर्जर कुसुम शर्मा धर्मपत्नी भगवत प्रसाद शर्मा, विमला शर्मा पत्नी प्रहलाद शर्मा हिस्सा 1/3 खातेदार दर्ज है। खातेदार कुसुम शर्मा हिस्सा 1/6 ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 505 दिनांक 16.5.11 से रेस्पोन्डेन्ट हल्की धर्मपत्नी तेजराम, मीना निवासी डावरा तह0 सपोटरा को ग्राम महुखुर्द के ख0नं0 254 रकबा 0.67 है0 में से 293/6700 हिस्सा का विक्रय किया है जो भू खण्ड की श्रेणी में आता है जिसका पटवारी हलका महूकलां ने नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 5.1.12 दर्ज किया है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 3/63/राजस्व/ग्रुप/2009 दिनांक 28.4.11 एवं परिपत्र दिनांक 25.10.2010 से भूखण्डों के नामान्तरकरण दर्ज किए जाने पर रोक लगाई गई है। पटवारी हलका द्वारा उपरोक्त परिपत्र द्वारा भूखण्डो के नामान्तरकरण दर्ज करने पर रोक होने के उपरान्त भी भूखण्ड का नामान्तरकरण दर्ज किया है जो नियमों के विपरीत है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। विक्रय किए गए भूखन्ड का उपयोग गैर कृषि कार्य में हो रहा है। उपरोक्त नामान्तरकरण की जानकारी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.7.14 को कार्यालय में रिपोर्ट पेश करने पर आई। धारा 5 मियाद अधिनियम की दर0 अपील के साथ संलग्न है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम सालोदा का नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 5.1.2012 निरस्त फरमाया जावे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी